

(18)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्यप्रदेश केम्प, इन्दौर

ति/व/ए-१०३८-२८०-१७

प्रकरण क्रमांक : / 2017

श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी मर्यादित,
द्वारा उपाध्यक्ष एवं अधिकृत प्रतिनिधि
रोहित दीक्षित पिता श्री राजेन्द्र दीक्षित
8-ए. आर.एन.टी.मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय,
कलेक्टोरेट, इन्दौर
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर द्वारा
श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
रेसकोर्स रोड, इन्दौर

— अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 8 भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक की ओरसे निम्नलिखित आवेदन सादर प्रस्तुत है :-

1. यह कि, आवेदक एक को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी है। आवेदक संस्था द्वारा ग्राम निरंजनपुर, तहसील इन्दौर की सर्वे क्रमांक 415 पैकी रकबा 7 एकड़ कृषि भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02-12-1983 को क्रय की।
2. यह कि, आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर सोसायटी के सदस्यों के लिये समस्त शासकीय विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर

अविरत.....2




उपाध्यक्ष


श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग
सोसायटी लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र.)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9038-पीबीआर/17

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-5-2017	<p>आवेदक के अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी भू-अर्जन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 8 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है । भू-अर्जन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः प्रथम दृष्टया संहिता की धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से निगरानी अग्राह्य किया जाता है ।</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>